प्रेस नोट

बागपत पुलिस **दिनाँक - 09.11.2022**

थाना रमाला के मु0अ0सं0 309/2022 धारा 302/366/506/201/120बी/34 भादवि व थाना छपरौली के मु0अ0स0 328/2022 धारा 302/201/147 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त शहनवाज व मुर्सलीन को किया गिरफ्तार।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 22.10.22 को वादी श्री मुर्सलीन पुत्र ताहिर निवासी ग्राम असारा थाना रमाला जनपद बागपत की तहरीर के आधार पर थाना रमाला पर मु0अ0सं0 309/22 धारा 366/506 भादवि बनाम अभियुक्त आरिफ पुत्र मुस्ताक निवासी ग्राम असारा थाना रमाला जनपद बागपत पंजीकृत हुआ था । उक्त अभियोग वादी की शादीशुदा बहन महजबी उम्र करीब 26 वर्ष को ले जाने के सम्बन्ध मे था।

थाना रमाला पुलिस को दिनांक 08.11.22 की रात्रि में सूचना प्राप्त हुई कि मुकदमा उपरोक्त के वादी मुर्सलीन व उसके भाईयो ने मिलकर अपनी बहन महजबी व आरिफ की हत्या कर दी है और लाश को जंगल में छिपा दिया है। उक्त सूचना के आधार पर थाना पुलिस द्वारा तत्परता से कार्यवाही करते हुये मुर्सलीन पुत्र ताहिर निवासी असारा थाना रमाला को हिरासत में लिया गया तथा अभियुक्त की निशादेही पर मृतका महजबी के शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिये भिजवाया गया। मृतका के बरामद शव के आधार पर मुकदमा उपरोक्त मे धारा 302/201/34/120बी भादवि की वृद्धि की गई।

बागपत पुलिस द्वारा आरिफ के शव को ढूंढने के लिये रात भर कोम्बिंग कर सर्च ऑपरेशन चलाया गया गया। दिनांक 09.11.2022 को प्रातः लगभग 8:00 बजे लूम्ब के जंगल में आरिफ

का शव मिला । आरिफ के परिजनो की तहरीर के आधार पर थाना छपरौली पर अभियोग पंजीकृत किया गया तथा नामजद अभियुक्तगण में से शहनवाज पुत्र अब्बास को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त मुर्सलीन ने पूछने पर बताया कि मेरी बहन महजबी का आरिफ निवासी ग्राम असारा के साथ पूर्व से ही प्रेम सम्बन्ध था। इसी के चलते वह दोनो कही चले गये थे, मुर्सलीन को यह जानकारी प्राप्त हुई, कि मेरी बहन महजबी व आरिफ और यामीन (आरिफ का चाचा) तीनो दिनांक 07.11.2022 को शाम को नौचन्दी ट्रेन से प्रयागराज से सहारनपुर आयेगे तो मुर्सलीन द्वारा अपने भाई मुन्तजिर, अरमान, मुजम्मिल, मौहम्मद पुत्र साबिर के साथ मिलकर महजबी व आरिफ की हत्या करने की योजना बनायी थी। ट्रेन के मेरठ पहुँचने पर हमने महजबी को अपने भाई मुन्तजिर के साथ असारा गाँव भेज दिया तथा मुर्सलीन, मौहम्मद, अरमान आरिफ व यामीन को लेकर मुजफ्फनगर स्टेशन पहुंचे। वहाँ से आरिफ और यामीन को शहनवाज(अपनी मौसी के लडके) के द्वारा लाई गई गाडी से मुजफ्फनगर से अपने बडे भाई मुजम्मिल के घर गाँव गंगैरू जनपद शामली ले गये। वहाँ पर मुर्सलीन,अरमान तथा मुजम्मिल तीनो ने मिलकर आरिफ की हत्या कर दी तथा शव को शहनवाज द्वारा लाई गई गाडी से मुर्सलीन, अरमान, शहनवाज की सहायता से थाना छपरौली क्षेत्र में छिपा दिया। इसके बाद मुर्सलीन कांधला से अपने गाँव असारा पहुंचा तथा वहाँ पहले से मौजूद अरमान, मुन्तजिर के साथ अपनी बहन महजबी की हत्या कर दी तथा शव को नसीम के खेत में छिपाकर घर वापस आ गये।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1-मुर्सलीन निवासी ग्राम असारा थाना रमाला जनपद बागपत।

2- शहनवाज पुत्र अब्बास निवासी ग्राम मखियाली थाना नई मण्डी जनपद मुजफ्फरनगर।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1- प्रभारी निरीक्षक श्री मदनपाल सिंह।

2- थानाध्यक्ष श्री नितिन पाण्डे।

3- उ0नि0 श्री संजीव कुमार।

4- उनि0 श्री उदयवीर।

5- का0 525 महेशचन्द पाल।

6- का0 907 धर्मेन्द्र।

7- का0 340 महित कुमार।

8- का0 369 विशाल पंवार।

9- है0का0 88 राम अवतार।

प्रेस नोट

थाना सिंघावली अहीर   दिनाँक 09-11-2022

थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा गैगस्टर एक्ट से संबंधित अभियुक्त निसार पुत्र युसुफ के ग्राम सिंघावली अहीर में बने मकान कीमत लगभग 89,707 रुपये को धारा 14(1) गैगस्टर एक्ट के अंतर्गत कुर्क किया गया।

कार्यवाही-

आज दिनांक **09.11.2022** को थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा थाना सिंघावली अहीर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 199/21 धारा 2/3 गैगस्टर अधिनियम से संबंधित अभियुक्त निसार पुत्र युसुफ निवासी ग्राम व थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत के ग्राम सिंघावली अहीर में रिहायसी भूमि 17.05 वर्ग मीटर पर बने मकान कीमत लगभग 89,707 रुपये को जब्त कर श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर बागपत जनपद बागपत को सम्पत्ति का प्रशासक नियुक्त किया गया । अभियुक्त निसार थाना सिंघावली अहीर का हिस्ट्रीशीटर अपराधी है । जिसका हिस्ट्र्शीट नम्बर- 1028 A है ।

अभियुक्त निसार पुत्र युसुफ निवासी ग्राम व थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत का आपराधिक इतिहास- H.S NO. 1028 A

1-मु0अ0सं0 132/20 धारा 392/411/420 भादवि थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।
2-मु0अ0सं0 21/21 धारा 307 भादवि थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।
3-मु0अ0सं0 23/21 धारा 414 भादवि थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।
4- मु0अ0सं0 199/21 धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

प्रेस नोट

थाना दोघट **दिनाँक 09.11.2022**

थाना दोघट पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 264/22 धारा 420/307 भादवि व 3/5/8 गौवध निवारण अधिनियम में वांछित एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 264/22 धारा 420/307 भादवि व 3/5/8 गौवध निवारण अधिनियम में वांछित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1-राहुल पुत्र रमेश निवासी बेलडी साल्हापुर ढन्डेरी ख्वाजगीपुर जनपद हरिद्वार उत्तराखण्ड।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उप0नि0 श्री अमित कुमार थाना दोघट।

2-है0का0 146 विनोद सिंह थाना दोघट।

प्रेस नोट

थाना सिंघावली अहीर   दिनाँक 09.11.2022

थाना सिंघावली अहीर पुलिस ने एक वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम व वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा एक वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार वारण्टी/ अभियुक्त का नाम व पता-

1-दीपक उर्फ जिगरी उर्फ अनुराग पुत्र नरेश निवासी ग्राम डौला थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.उ0नि0 श्री वीरेन्द्र सिंह थाना सिंघावली अहीर।
2. का0 963 प्रभात यादव थाना सिंघावली अहीर।
3. पीआरडी सोहनपाल थाना सिंघावली अहीर।